HRA AN UNIONALE Che Gazette of India

भाग II—खण्ड ३—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (l)

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 479] No. 479] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 31, 2007/ कार्तिक 9, 1929 NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 31, 2007/KARTIKA 9, 1929

भूचना और प्रसारण मंत्रालय अधिमूचना

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 2007

सा.का.नि. 687(अ).—केंद्रीय सरकार, खेल प्रसारण सिगनल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य हिस्सेवारी) अधिनियम, 2007 (2007 का 11) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(**1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खेल प्रसारण सिगनल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्थ हिस्सेदारी) नियम, 2007 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- परिभाषाएं,—इन नियमों के जब तब संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
 - (क) ''अधिनियम'' से खेल प्रसारण सिगनल (प्रसार भारती के आथ अनिवार्य हिस्सेदारी) अधिनियम, 2007 (2007 का 11) अभिप्रेत हैं;
 - (ख) "अंतर्वस्तु अधिकार स्वामी या धारक" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो तत्समय भारतीय राज्यक्षेत्र के भीतर राष्ट्रीय महत्व के खेल आयोजन के संबंध में प्रसारण अधिकार रखता है या धारण करता है;
 - (ग) उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो क्रमशः अधिनियम में हैं।
- 3. प्रसार भारती के साथ खेल प्रसारण सिगनली की हिस्तेदारी.—(1) प्रत्येक अतर्वस्तु अधिकार का स्वामी या धारक

और कोई भी टेलीविजन या रेडियो प्रसारण सेवा प्रदाता जो किसी केवल टेलीविजन नेटवर्क या डायरेक्ट टू होम नेटवर्क पर राष्ट्रीय महत्व के खेल आयोजनों का सीधा प्रसारण करने का आश्रय रखता है तो वह दूरदर्शन प्रसारण या प्रसारण की प्रस्तावित तारीख से कम से कम पैतालीस दिन पूर्व उसके बारे में प्रसार भारती को सूचित करेगा और सीधे सिगनलों की उस रीति में और ऐसे निर्वधनों तथा शर्तों पर जो नीचे विनिर्दिष्ट हैं, हिस्सेदारी की प्रस्थापना करेगा।

- (2) अंतर्वस्तु अधिकार का स्वामी या धारक और कोई भी टेलीविजन या रेडियो प्रसारण सेवा प्रदाता, प्रसार भारती को यथास्थिति, दूरदर्शन के मास्टर नियंत्रण कक्ष या आकाशवाणी के मास्टर नियंत्रण कक्ष पर स्वयं के खर्चे पर सीधे सिगनल उपलब्ध कराएगा।
- (3) अंतर्वस्तु अधिकार का स्थामी या धारक द्वारा प्रसार भारती के साथ हिस्सेदारी किए जाने वाले सिगनल सभी विशेषताओं से युक्त वाणिज्यिक विज्ञापनों से मुक्त सर्वोत्तम रूप से फीड किए जाएंगे जैसे कि भारत में प्रसारण सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं।
- (4) उपनियम (2) और उपनियम (3) में निर्दिष्ट सिगनलों में पूर्व सीधे प्रसारण और पश्च सीधे प्रसारण के सिगनल सिम्मिलत होंगे।
- (5) प्रसार भारती की भारत में उपलब्ध किसी चैनल के प्रतीक चिन्ह को लगाने की बाध्यता नहीं होगी ।
- (6) प्रसार भारती को सभी उपसर्जित करने, पूर्व के, बाद के, और अंतर प्रसारण कार्यक्रमण के अधिकार होंगे।
- (7) प्रसार भारती को आकाशवाणी के एएम और एफएम चैनलों सहित अपने राज्य क्षेत्रीय और डायरेक्ट टू होम नेटवर्क को सिगनल पुन: पारेषित करने का अधिकार होगा।
- 4. प्रसारण राजस्व और वाणिण्यिक समय के विपणन की हिस्सेदारी.—(1) प्रसार भारती नियम 3 के उपनियम (1) के

4415 GI/2007

निर्बंधनों के अनुसार सूचित किए जाने पर या अन्यथा दोनों में से अर्थात् अंतर्वस्तु अधिकार का स्वामी या धारक या प्रसार भारती में से प्रसार भारती के चैनल पर पुन: पारेषण द्वारा उत्पन्न वाणिज्यिक समय के विपणन का कार्य करेगा जो अधिकतम राजस्व की प्रस्थापना करता है, उसे विपणन अधिकार प्राप्त होंगे।

- (2) उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए मुद्रांकित बोली प्रक्रिया अपनाई गाएगी और ऐसी बोलियां दोनों पक्षकारों के प्रतिनिधियों की उपस्थित में खोली जाएंगी तथा अधिक बोली लगाने वाला पक्षकार विपणन अधिकार प्राप्त करेगां।
- (3) इस प्रकार अवधारित अंतिम रकम विपणन अधिकार प्राप्त करने वाले पक्षकार द्वारा प्रस्थापित करों और शुल्कों का संदाय करने के पश्चान प्रत्याभृतित शुद्ध राजस्व होगी और पक्षकारों के बीच अंशभाजित किया जाने वाला राजस्व प्रत्याभृतित राजस्व या वसूल किए गए वास्त्रविक राजस्व से अधिक होगा।
- (4) विपणन अधिकार प्राप्त करने वाला पक्षकार अन्य पक्षकार को अन्य पक्षकार के प्रत्याभृतित राजस्व के बराबर रकम की बैंक प्रत्याभृति देगा जो उस मास के जिसको खेल आयोजन समाप्त होते हैं पश्चात्वर्ती मास के पहले दिन से छह मास की अविध के लिए विधिमान्य होगी।
- (5) विपणन अधिकार रखने वाला पक्षकार अपने नाम में सभी निकासी आदेशों और संदायों को अभिप्राप्त करने का हकदार होगा और उसके द्वारा सभी संदाय खाता अदाता चैकों के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे, जो किसी अभिहित एस्क्रो खाते में जमा किए जाएंगे जिनसे पक्षकार को कर दायित्व का मोचन करने के पश्चात् निकासी करने की स्वतंत्रता होगी।
- (6) विपणन अधिकार रखने वाला पक्षकार अन्य पक्षकार को राजस्व उपानन के चार्टड एकाउंटेंट द्वारा सम्यक् रूप से संपरीक्षित संपूर्ण लेखे बभी निकासी आदेशों सहित प्रस्तुत करेगा और समस्त प्रत्याभूतित रकम या किसी अन्य रकम का जिसके लिए अन्य पक्षकार नियम 4 के उपनियम (3) और अधिनियम के अधीन राजस्व अंश भाजन सूत्र के अनुसार हकदार है, का संदाय उस मास के जिसकी खेल आयोजन समाप्त होने हैं पश्चातुक्ती मास के पहले दिन से पचहत्तर दिन की अविध के भीतर सदाय करेगा।
- 5. खेल आयोजनों का प्रसारण करने वाले टेलीविजन या रेडियो के उत्तरदायित्व.—यदि टेलीविजन या रेडियो प्रसारण प्रदाता अंतर्वस्तु अधिकार स्वामी या धारक से भिन्न हैं तो उसका यह दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि अंतर्वस्तु अधिकार स्वामी या धारक से अधिकारों के अर्जन के समय अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुपालन के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं कर ली गई हैं।
- 6. राष्ट्रीय महत्व के खेल आयोजन की घोषणा की रीति.—(1) राष्ट्रीय महत्व के खेल आयोजन की सूची अवधारित की जाएगी और उसे युवा कार्य और खेल मंत्रालय तथा प्रसार भारती के परामर्श से मूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अधिस्कित किया जाएगा।
- (2) राष्ट्रीय महत्व के किसी आयोजन को जब एक बार सूची में सम्मिलित किया जाता है तो वह इस में सम्मिलित किए जाने की

 $\mathcal{F} = \{ \mathcal{F}_{i,k} |_{i=1,2,2},$

तारीख़ से चार वर्ष की अवधि के खेल आयोजन के रूप में बना है जब तक कि उसे पहले हटा न दिया गया हो या वापस न ले लिया गया हो ।

- (3) सूचना और प्रसारण मंत्रालय किसी भी समय पर और कम से कम उपनियम (1) के अनुसार प्रत्येक कलेंडर वर्ष के फरवरी मास में कम से कम एक बार राष्ट्रीय महत्त्व के खेल घटनाओं की सूची का पुनर्विलोकन कर सकेगी और अंतर्वेशन या इटाने के लिए नए प्रस्तावों पर विचार करेगा और संशोधनों को अधिसूचित करेगा यदि कोई हो।
- 7. अतिक्रमण के कतियय मामले में टेलीविजन या रेडियो प्रसारण सेवा प्रदाता या अंतर्वस्तु स्वामी या धारक का दायित्व,—(1) अधिनयम के उपबंधों के अधीन केन्द्रीय सरकार, अधिनियम की धारा 3 या इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट निबंधन या शर्तों के किसी अतिक्रमण की घटना में जब तक अतिक्रमण जारी रहता है, प्रस्थेक दिन के लिए शास्ति अधिरोपित कर सकेगी।
- (2) उपनियम (1) कं अधीन टेलीविजन या रेडियो प्रसारण सेवा प्रदाता के मामले में शास्ति, किसी कार्यवाही पर प्रतिकृत प्रभाव डाले बिना होगी जो केन्द्रीय सरकार, अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा या रिजस्ट्रीकरण के निलंबन या प्रतिसंहरण के माध्यम से करे।
- (3) उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी जब तक कि टेलीविजन या रेडियो प्रसारण सेवा प्रदाता या अंतर्वस्तु अधिकार स्वामी या धारक को युक्ति युक्त रूप से सुने जाने का अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता।
- 8. मार्गदर्शन सिद्धांतों का आंशिक अधिक्रमण.—ये नियम भागत: भारत से अपिलिंकिंग, तारीख 2 दिसंबर, 2005 के लिए मार्ग दर्शक सिद्धांतों और भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी टेलीविजन चैनलों की डाउनिलिंकिंग, तारीख 11 नवंबर, 2005 के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों का अधिक्रमण करते हैं, जहां तक इनका संबंध राष्ट्रीय महत्व के खेल आयोजनों और उनसे संबंधित निवंधनों और शतों से हैं, के मामले में प्रसार भारती के साथ खेल प्रसारण सिगनल की हिस्सेवारी से हैं।

[सं. 16/8/2006-बीपी एंड एल जिल्द III] जोहरा चटर्जी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 2007

- G.S.R. 687(E).—In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Sports Broadcasting Signals (Mandatory Sharing with Prasar Bharati) Act, 2007 (Act 11 of 2007), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Sports Broadcast Signals (Mandatory Sharing with Prasar Bharati) Rules, 2007.

- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—
 - (a) 'Act' shall mean the Sports Broadcasting Signals (Mandatory Sharing with Prasar Bharati) Act, 2007 (Act 11 of 2007);
 - (b) 'content rights owner or holder' shall mean a person for the time being having or holding the broadcasting rights in respect of a sporting event of national importance within the territory of India:
 - (c) words and expressions not defined in these rules but defined in the Act, shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act.
- 3. Sharing of Sports Broadcasting Signals with Prasar Bharati.—(1) Every content rights owner or holder and television or radio broadcasting service provider intending to carry a live television broadcast on any cable television network or Direct-to-Home network or intending to make a radio commentary broadcast in India, of a sporting event of national importance shall at least forty five days prior to the proposed date of telecast or broadcast, inform the Prasar Bharati about the same and offer to share the live signals in the manner and on such terms and conditions as are hereunder specified.
- (2) The content rights owner or holder and television or radio broadcasting service provider shall provide the live signals to the Prasar Bharati at the Master Control Room of Doordarshan or as the case may be, the Master Control Room of Ali India Radio, at its own cost.
- (3) The signals to be shared with the Prasar Bharati by the content rights owner or holder, shall be the best feed with all features as that of provided to a broadcast service provider in India, free from commercial advertisements.
- (4) The signals referred to in sub-rules (2) and (3) shall include signals of the pre live event and the post live event coverage.
- (5) The Prasar Bharati shall not be under any obligation to carry the logo of any channel available in India.
- (6) The Prasar Bharati shall have all the rights to generate, pre, post and intermission programming.
- (7) The Prasar Bharati shall have the right to retransmit the signals on its terrestrial and Direct-to-Home networks including the AM and FM channels of the All India Radio.
- 4. Sharing of advertisement revenue and Marketing of commercial time.—(1) The Prasar Bharati shall on being informed in terms of sub-rule (1) of rule 3 or otherwise, take steps to determine who out of the two, that is the content

- rights owner or holder or the Prasar Bharati, shall undertake the marketing of commercial time generated by the retransmission on the Prasar Bharati's Channel and either of the party, which offers to maximize the revenue, shall get the marketing rights.
- (2) For the purposes of sub-rule (1), a sealed bid procedure shall be adopted and such bids shall be opened in presence of representatives of both the parties and the party bidding higher shall get the marketing rights.
- (3) The final amount so determined shall be the guaranteed net revenue after payment of taxes and duties, offered by the party getting the marketing rights and the revenue to be shared between the parties shall be the higher of the guaranteed revenue or actual revenue realised.
- (4) The party getting the marketing right shall give a bank guarantee to the other party for an amount equal to the other party's share of guaranteed revenue which shall be valid for a period of six months from the first day of the month succeeding the month in which the sporting event comes to an end.
- (5) The party having the marketing rights shall be entitled to obtain all release orders and payments in its name and all payments shall be received by it only by way of account payee cheques, which shall be deposited in a designated escrow account from which the parties shall be at liberty to make withdrawals after discharging the tax liability.
- (6) The party having the marketing rights shall submit to the other party complete accounts of revenue earnings, duly audited by a chartered accountant and along with all the release orders; and shall pay the entire guaranteed amount as well as any other amount to which the other party is entitled as per the revenue sharing formula under the Act and sub-rule (3) of rule 4, within seventy five days from the first day of the month succeeding the month in which the sporting event comes to an end.
- 5. Responsibility of a television or radio channel broadcasting the sporting event.—If the television or radio broadcasting service provider is different from the content rights owner or holder, it shall be its duty to ensure that adequate arrangements for compliance with the provisions of the Act and the rules are made, at the time of acquisition of the rights from the content rights owner or holder.
- 6. Manner of declaration of sporting events of national importance.—(1) The list of sporting events of national importance shall be determined and notified by the Ministry of Information and Broadcasting in consultation with the Ministry of Youth Affairs and Sports and the Prasar Bharati.
- (2) An event of national importance once included in the list shall remain a sporting event as such for a period of four years from the date of its inclusion unless deleted or withdrawn earlier.

- (3) The Ministry of Information and Broadcasting may, review the list of sporting events of national importance at any time and atleast once in the month of February of each calendar year as per sub-rule (1), and consider new proposals for inclusion or deletion and notify amendments, if any.
- 7. Liability of television or radio broadcasting service provider or content rights owner or holder in certain cases of violations.—(1) Subject to the provisions of the Act, the Central Government may, in the event of any violation of a term or condition specified under Section 3 of the Act or these rules, impose a penalty for each day till the violation continues.
- (2) The penalty in case of televisions or radio broadcast service provider under sub-rule (1) shall be

- without prejudice to any action that the Central Government may take against them by way of suspension or revocation of licence or permission or registration.
- (3) No penalty under sub-rule (1) or (2) shall be imposed unless a reasonable opportunity of being heard is given to the television or radio broadcasting service provider or the content rights owner or holder.
- 8. Partial supersession of guidelines.—These rules partially supersede the Guidelines for Uplinking from India, dated 2nd December, 2005 and the Policy Guidelines for Downlinking of Television Channels, dated 11th November, 2005 issued by the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting, insofar as they relate to sharing of sports broadcasting signals with the Prasar Bharati in case of sporting events of national importance and the terms and conditions relating thereto.

[No. 16/8/2006-BP&LVol. III] ZOHRA CHATTERJI, Jt, Secy.